न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 50/2017

दायर दिनांक :- 16.11.2017

उनवान

1. श्रवण कुमार पुत्र मनफूल
2. विमला पत्नि श्रवणकुमार

} जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सैंथल तहसील दौसा जिला-दौसा।

-(वादीगण)

बनाम

1 हनुमानसहाय पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहमण निवासी जोशी मौहल्ला सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

3 उपपंजीयक एवं उपतहसीलदार सैंथल तह0 दौसा जिला दौसा।

4 रामकिशोर पुत्र मनफूल

5 दयाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण

6 सियाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण

7 गुलाब देवी बेवा लक्ष्मीनारायण

} जाति ब्रहामण निवासी जोशी मौहल्ला सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

8 आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि नाथूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पावटा तह0 टहला जिला अलवर।

9 सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि नामलूम निवासी सूरत गुजरात।

-(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः- 1. श्री योगेश जाखड़, अधिवक्ता वादी

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 5-10-2021

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम बीनावाला तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.09 है0 तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजी के संयुक्त रूप से रिकार्डेड काबिज काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 उक्त आराजी के संयुक्त हिस्सेदार है जिनका हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. डिक्री तकास्मा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 पारित फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.09 है0 तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 स्थित ग्राम बीनावाला तहसील दौसा जिला दौसा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 4 लगायत 9 मे मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में विभाजन फरमाकर वादीगण के हिस्से की खातेदारी अलग की [illegible]क-पृथक खाता व पृथक-पृथक लगान कायम फरमाकर पृथक पासबुक व पर्चा लगान [illegible] फरमावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द फरमावें की वह उक्त आराजी के किसी भू-भ[illegible] पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कर भूमि की किस्म को परिवर्तन करने, दीगर व्यक्तियों को भूमि का बेचान करने से सदैव के लिए प्रतिबन्धित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोरोदा में पेश हुई। उक्त दिनांक को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार दौसा को ग्राम बीनावाला तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.09 है0 तथा खसरा नम्बर 343 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7626 दिनांक 28.08.2018 व पत्रांकः कोर्ट/2019/1278 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा पत्रांकः भू0अ0/2019 /21890 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा कुर्रेजात तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को दिनांक 08.01.2020 को निम्नानुसार पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	विमला पत्नी श्रवणकुमार हि0 1/3, श्रवणकुमार पुत्र मनफूल हि0 1/3, रामकिशोर पुत्र मनफूल हि0 1/6 गुलाब पत्नी लक्ष्मीनारायण, दयाराम, सियाराम पि0 लक्ष्मीनारायण, आशा सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण हि0 1/6 कौम ब्राहम्ण सा0 देह	327/2	0.32	नहरी	11.07
		328/2	0.03	बंजड़	
		329	0.32	नहरी	
		342	0.09	नहरी	
		343	0.03	नहरी	
	कुल	**5**	**0.79**		**11.07**
2.	हनुमानसहाय पुत्र चिरंजीलाल कौम ब्राहमण सा0 सैंथल खातेदार	327/[illegible]	[illegible]24	नहरी	3.08
		32[illegible]	[illegible]03	बंजड़	
	कुल	2	0.27		3.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। पत्रावली पर बहस सुनी गई। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 5-10-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested